राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीम का थाना

सरकार बनाम रामकरण वगै.

किस्मः– खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत ; एसआर.नं. :– एफ–3198; मुकदमा नम्बरः– 32/2023

23.04.2024 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी संख्या 1. रामकरण यादव पुत्र श्री शिवप्रसाद यादव, जाति यादव (विक्रेता), निवासी लसाडिया, तहसील श्रीमाधोपुर हाल जिला नीम का थाना व अप्रार्थी संख्या 2. रामगोपाल यादव पुत्र श्री शिवप्रसाद यादव, जाति यादव (मालिक), निवासी लसाडिया, तहसील श्रीमाधोपुर हाल जिला नीम का थाना उभय पक्ष उपस्थित। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.11.2022 को बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा समय 03:10 पी.एम. पर श्रीमाधोपुर में निरीक्षण के लिए पहूँचे। निरीक्षण के दौरान मैसर्स एस.एस. डेयरी, अणतपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर हाल जिला नीम का थाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम रामकरण यादव पुत्र श्री शिवप्रसाद यादव व स्वयं को दुकान का विक्रेता होना बताया। विक्रेता से वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ लाईसेंस दिखाने के लिए कहा, तो उसने वर्ष 2022 खाद्य अनुज्ञापत्र की छायाप्रति, जिएसटी रजिस्टेशन की छायाप्रति व मालिक के आधारकार्ड की छायाप्रति पेश कि गई।

मैसर्स एस.एस. डेयरी, अणतपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर हाल जिला नीम का थाना डेयरी में रखे एक लोहे के पीपे में लगभग 20 किलोग्राम मावा आम जनता को विक्रय वास्तें रखे हुये थे जिसमें मिलावट कि शंका होने पर, मैसर्स पर रखे 20 किलोग्राम मावा में से वास्ते नमूना जॉच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच 1 किलोग्राम मावा का क्रय किया जिसकी कीमत विक्रेता को 260 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अवमानक खाद्य पदार्थ (sub-standard Food)** पाया गया। अप्रार्थी ने कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्मना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा नम्बर एफ–3198 खाद्य पदार्थ मावा का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **अवमानक खाद्य पदार्थ (sub-standard Food)** पाया गया। **अवमानक खाद्य पदार्थ (sub-standard Food)** मावा का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 20,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 23.04.2024 को सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील नियमानुसार कम होकर दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.06.03 15:57:49 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर
नीम का थाना